



Nº 0099993

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या 72

वर्ष 2012-2013

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

जयश्रीकपुर चैम्स टुकेडजी



सासाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख 21/08/2012 मास जुलाई वर्ष दो हजार बाईस को राँची में मेरे हस्ताक्षर के

साथ दिया गया ।

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

गोबर्नमेन्ट प्रेस, राँची ।

पत्रांक ३५६

दाखिल करने का प्रमाण-पत्र
निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय
झारखण्ड, राँची।

जमशेदपुर चैल एवेडमी

दिनांक : १५-१-१९

प्रमाणित किया जाता है कि 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज निम्नलिखित दस्तावेज सम्यक रूप से दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया गया है/किये गये हैं।

- (1) निबंधन शुल्क 50/- रूपया मात्र।
- (2) आम सभा का प्रस्ताव।
- (3) स्मृति-पत्र।
- (4) नियमावली।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सा.नि.१

जमशेदपुर चैल एवेडमी

मकान नं०- 22, टाउन नं०- 11, हिल स्ट्रीट बालाजी,

डिगना रोड, मो. नगा, जौ-एन-जीव (जमशेदपुर)

उनके पत्र के आलोक में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करें।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।




भारत सरकार
कार्यालय, आयकर आयुक्त,
47, सी. एच. एरिया, जमशेदपुर

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए/एए के तहत आदेश
जमशेदपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2014

जमशेदपुर चैस एकेडमी (JAMSHEDPUR CHESS ACADEMY), जमशेदपुर ने आयकर अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत निबंधन हेतु अपना आवेदन विहित पत्र में दिनांक 24/07/2014 को अपने संविधान दिनांक 16/07/2012 के प्रतिलिपि के साथ दिया है। इस संस्था का पंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा 12ए/एए के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है जो कि कर वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रभावी होगा।


इस कार्यालय में धारा 12ए/एए के अधीन रखे गए आवेदन पत्र की पंजिका में इस आवेदन को आ0आ0/जम0/तकनीकी/12ए-28/2014-15 में प्रविष्टि कर दिया गया है।


(वीर बिरसा एक्का)
आयकर आयुक्त, जमशेदपुर

ज्ञापन सं०: आयकर आयुक्त/जम0/तकनीकी/12ए-28/2014-15/2401-03
दिनांक, जमशेदपुर, 12वीं अगस्त, 2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. जमशेदपुर चैस एकेडमी (JAMSHEDPUR CHESS ACADEMY), जमशेदपुर
2. संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र-2, जमशेदपुर।
3. सहायक आयकर आयुक्त, अंचल-2, जमशेदपुर।
4. निम्नलिखित निर्देशों के साथ :
क. उपर्युक्त आवेदन की आयकर विवरणी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
ख. आयकर धारा 11 (4ए) की पात्रता के संबंध में आवश्यक जाँच करें।


(रंजीत कुमार लाल)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते : आयकर आयुक्त, जमशेदपुर






भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त,
47, सी. एच. एरिया, जमशेदपुर
फोन न० 0657-2233234

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(G)(5) के अन्तर्गत अनुमोदन आदेश

सं०सं०: आ०आ०/जम०/80जी-19/2014-15 जमशेदपुर चैस एकेडमी (JAMSHEDPUR CHESS ACADEMY),, डिमना, जमशेदपुर को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(G)(5)(vi) के अन्तर्गत अनुमोदित किए जाने के फलस्वरूप एकेडमी को दानकर्ता द्वारा दिये गये दान पर विधिवत छूट जो धारा 80(G)(5)(vi) के अन्तर्गत मान्य होगा, दानकर्ता उसके पात्र होंगे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।

2. यह छूट वित्तीय वर्ष 2014-15 से मान्य होगा।


(वीर बिरसा एक्का)
आयकर आयुक्त, जमशेदपुर


शर्तें:-

- दानकर्ता को जारी किये गये रसीद में इस आदेश की संख्या तथा तारीख आवश्यक है।
- आय तथा व्यय के लेखों का विवरण वार्षिक रूप से क्षेत्रीय आयकर अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- यदि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया गया हो, तो संकल्प की एक प्रति/न्यास संशोधन कागजात के साथ इसकी सूचना इस कार्यालय को तुरन्त दी जानी चाहिए।
- यदि पुनः कोई नवीकरण अपेक्षित हो तो आय तथा व्यय के विवरण के साथ इस कार्यालय को एक आवेदन दिया जाए।
- यदि संस्था द्वारा किया गया व्यय एवं किया कलाप गलत पाया गया या जो संविधान के अनुरूप नहीं हैं, वैसी स्थिति में 80जी के अंतर्गत प्रदत्त छूट को रद्द किया जा सकता है।
- यह ज्ञात हो कि अनुदान प्राप्त ट्रस्ट/संस्था को ऐसी गतिविधियों से सम्बन्ध रखना वर्जित है जिसका उद्देश्य राजनीतिक हो या सामाजिक अशांति फैलाने से हो।

ज्ञापन सं०: आयकर आयुक्त/तकनीकी/जम०/80^{जी}-19/2014-15/2830-32
दिनांक, जमशेदपुर, 10^{वीं} सितम्बर, 2014

- संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र - 2, जमशेदपुर से अनुरोध है कि जमशेदपुर चैस एकेडमी, जमशेदपुर द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की जाँच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें कि यह धारा 80जी (5) में निहित शर्तों को या इस विषय पर समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों को पूरा करता है।
- सहायक आयकर आयुक्त, अंचल-2, जमशेदपुर।
- आवेदक : जमशेदपुर चैस एकेडमी (JAMSHEDPUR CHESS ACADEMY), मकान न०-22, रोड न०-11, हिल भियू कालोनी, डिमना रोड, मानगो, पो०- एम०जी०एम०, जमशेदपुर।




(रंजीत कुमार लाल)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते : आयकर आयुक्त, जमशेदपुर

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

JAMSHEDPUR CHESS ACADEMY



16/07/2012
Permanent Account Number

AABAJ3208K

04082012